



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 (माघ 25,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ.परि./2022, दिनांक 18 जुलाई,2023 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ.परि./2022, दिनांक 22 सितम्बर,2023 पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उप धारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में संचालित प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा देशी/विदेशी शराब दुकानों के संचालन में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री जनकराम ध्रुव, सदस्य, गरियाबंद जिले के किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निर्धारित समय
3 घंटे (1)

4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा
श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री के विभागों से संबंधित-

- | | | |
|-------------|----|--------------------------------|
| मांग संख्या | 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 27 | स्कूल शिक्षा |
| मांग संख्या | 28 | राज्य विधान मण्डल |
| मांग संख्या | 37 | पर्यटन |
| मांग संख्या | 44 | उच्च शिक्षा |
| मांग संख्या | 51 | धार्मिक न्यास और धर्मस्व |

2 घंटे (2)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित-

- | | | |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 3 | पुलिस |
| मांग संख्या | 4 | गृह विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 5 | जेल |
| मांग संख्या | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय |
| मांग संख्या | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| मांग संख्या | 46 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| मांग संख्या | 47 | तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग |

रायपुर,
दिनांक 13 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा